उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

निविदा संख्या :– GEM/2024/B/4784740

शुद्धिपत्र

निविदा के नियम व शर्त के बिन्दु संख्या 3 व 4 के स्थान पर निम्नवत पढा जाये:–

शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या 412/XXIV-C-4/2021-01(44)/2016 दिनांक 03.09.2021 में उल्लिखित पुनरीक्षित मानदेय रू0 35000/– (रू0 पैतीस हजार मात्र) नियत मानदेय का भुगतान सफल निविदादाता द्वारा किया जायेगा।

निदेशक, उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

CamScanner

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
नवाड़खेड़ा, गौलापार, हल्द्वानी (नैनीताल)

☎ 05946–299615, 616, 617

E-Mail: hedegreeplan@gmail.com

उत्तराखण्ड शासन

GeM Bid Notice

उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत **राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त 15 पदों पर अस्थायी शिक्षकों की तैनाती (आउटसोर्स के माध्यम से)** किए जाने हेतु जेम पोर्टल पर निविदा आमंत्रित की गयी हैं। बिड से सम्बन्धित समस्त जानकारियॉ जेम पोर्टल एवं उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड की वेबसाइट https://he.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

Tender Reference No.-	GEM/2024/B/4784740
Commencement of Downloading of Tender Document:-	15-03-2024
Bid End Date & Time:-	25-03-2024 at 14:00 Hours

निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

निदेशक, उच्च शिक्षा, निदेशालय, उत्तराखण्ड़ हल्द्वानी (नैनीताल)

राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत/रिक्त पदों के सापेक्ष नितान्त अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत अस्थाई शिक्षकों की तैनाती (ई–निविदा)

निदेशक,
उच्च शिक्षा, निदेशालय
उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)

key Dates निम्नानुसार होगी–

क्र.सं.	ई–निविदा सम्बन्धित जानकारी	दिनांक
1	निविदा प्रकाशन की तिथि	15.03.2024
2	ऑनलाईन प्रकाशन की तिथि	15.03.2024
3	दस्तावेज डाउनलोड करने की प्रारम्भ तिथि	15.03.2024
4	बिड अपलोड करने की प्रारम्भ तिथि	15.03.2024
5	बिड अपलोड करने की अन्तिम तिथि	25.03.2024

राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत/रिक्त पदों के सापेक्ष नितान्त अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत अस्थाई शिक्षकों की चयन प्रकिया हेतु नियम एवं शर्तो का विवरण :–

नियम व शर्ते :–

1. निविदादाता को आयकर विभाग भारत सरकार, उत्तराखण्ड राज्य के श्रम विभाग, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 कार्यालयों में पंजीकृत होना अनिवार्य है। तथा तकनीकी निविदा के साथ तद्सम्बन्धी पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य हैं।
2. प्रतिभूति निक्षेप :– वाणिज्यिक बैंकों से निर्गत अदाता के नाम एकाउन्ट पेई कुल वार्षिक लागत का 10 प्रतिशत डिमान्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद उपलब्ध करायी जायेगी। जो निविदा स्वीकृत के तत्काल बाद लगायी जायेगी।
3. सफल निविदादाता को श्रम कानूनों एवं उपबधों के आधीन नियोजित अस्थायी शिक्षकों को न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध करवाने हेतु कानूनी रूप से बाध्य होगा। सफल निविदादाता श्रम कानूनों, उपबन्धों, श्रमिको के सम्बन्ध में अन्य कानूनो के अनुसार न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध करवाने हेतु कानूनी रूप से बाध्य होगा।
4. निविदादाता द्वारा श्रम कानूनो, वित्तीय कानूनों, के अनुसार कार्मिको को पारिश्रमिक, पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0, तथा सेवा प्रदाता द्वारा स्वंय के लाभांश प्रतिशत को समायोजित करते हुये वित्तीय निविदा डाली जानी अनिवार्य होगी। सफलनिविदादाता को उपरोक्त का पृथक–पृथक विवरण संलग्न तालिका अनुसार अनुबन्ध से पूर्व उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि फर्म द्वारा वित्तीय निविदा में अंकित न्यूनतम मजदूरी नही देने पी0एफ0, ई0एस0आई0 नही जमा किये जाने तथा अधिक लाभांश लिये जाने की शिकायत प्राप्त होती है, तो सम्बन्धित फर्म का निक्षेप

प्रतिभूति जब्त करते हुये ब्लैक लिस्ट कर एल–02 को एल–01 की दरो पर कामगार आपूर्ति का कार्य दिया जायेगा।

5. समस्त अथवा किसी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक उच्च शिक्षा को होगा।
6. निविदादाता को तकनीकी निविदा के साथ 100 रूपये मूल्य का नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

   (अ) कि पूर्व में उसकी फर्म को उत्तराखण्ड राज्य व अन्य प्रदेशों में किसी भी अधिप्राप्ति संस्था द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है।

   (ब) निविदादाता फर्म का टेण्डर कमेटी के किसी सदस्य से कोई सम्बन्ध नहीं है, परियोजना प्रस्ताव अथवा सम्पादन के लिए नियामक की ओर से नियुक्त पदाधिकारी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

   (स) चाही गये निविदा प्रपत्रों में सभी पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। किसी तथ्य के असत्य, भ्रामक या असंवैधानिक पाये जाने पर निविदा निरस्त करने अथवा निविदा धरोहर जब्त करने का अधिकार निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड हल्द्वानी को होगा।

   (ग) शपथ पत्र में उद्घटित तथ्य सत्य और साक्ष्यों के आधार पर सही है।
7. टेण्डर नोटिस की व्याख्या टेण्डर प्रपत्रों में प्रदर्शित ई–लेटर, नोटिस, कॉरीजेंन्डम, निगोषियेशन, अवार्ड से भी सम्बन्धित हैं।
8. निविदादाता द्वारा प्रतिष्ठित 02 सरकारी संस्थाओं, कार्यालयों कम्पनियों/निगमों में विगत 01 वर्षो में 200 मानव आपूर्ति उपलब्ध कराये जाने का कार्यादेश की स्वप्रमाणित प्रतियाँ अनिवार्यतः उपलब्ध करवानी होंगी।
9. यह कि सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) में रजिस्टर्ड फर्मों को उत्तराखण्ड शासन की क्रय वरीयता नीति 2019 –शासनादेश सं0 1542/VII-3-19/143-उद्योग /2003 दिनांक 20 अगस्त, 2019 की शर्तों के अनुरूप निविदा में छूट प्रदान की जाएगी। पंजीकृत फर्म/निविदादाता को तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा।
10. विगत 03 वित्तीय वर्षो का आई0टी0आर0 जो सी0ए0 द्वारा प्रमाणित हो, उपलब्ध करवाना अनिवार्य हैं।
11. निविदादाता फर्म द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले अस्थायी शिक्षकों को प्रतिमाह दिये जाने वाले भुगतान की सूची सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्यों के लेखा अनुभाग में उपलब्ध कराये जाने उपरान्त ही अगले माह का सम्बन्धित फर्म को भुगतान किया जायेगा।
12. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के साथ सभी वांछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ चैक लिस्ट क्रमांक में अपलोड करनी होगी। संलग्नक–1 (तकनीकी निविदा)
13. सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध प्रपत्रों के पूर्ण होने पर 10 प्रतिशत की प्रतिभूति निक्षेप–वाणिज्यिक बैंकों से निर्गत अदाता के नाम एकाउन्ट पे डिमान्ड ड्राफ्ट साबधि जमा रसीद अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी, जो स्वीकृत लागत के अधीन होगी।
14. परियोजना में नियोजित अस्थायी शिक्षकों का विस्तृत विवरण कामगार पहचान पंजिका के रूप प्रत्येक कार्मिक की सूचना को हस्ताक्षरित कर सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्यो को अनिवार्यतः अपलब्ध करवाया जायेगा। जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर एक

नियोजित कार्मिक का सफल निविदादाता से हस्ताक्षरित सत्यापित फोटोग्राफ, नाम, लिंग, जन्मतिथि, मो0नं0, स्थायी पता, आदि का विवरण उपलब्ध करवाना होगा।

15. सफल निविदादाता द्वारा नियोजित अस्थायी शिक्षक का कार्य संतोषजनक, निष्ठापूर्ण न करने पर संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के अनुमोदन पर किसी भी समय हटा दिया जायेगा।
16. अनुबन्ध अवधि में कार्य सम्पादन के दौरान यदि कोई अस्थायी शिक्षक की दुर्घटना/मृत्यु हो जाती है तो सफल निविदादाता किसी भी प्रासंगिक कानून के तहत अदाता से मुआवजे का हकदार नहीं होगा, और सम्पूर्ण उत्तरदायित्वों का सफल निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
17. सफल निविदादाता उच्च शिक्षा विभाग को अतिरिक्त श्रम शक्ति की मांग होने पर निदेशक, उच्च शिक्षा के अनुमोदनोपरान्त निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा अधिकृत संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के लिखित हस्ताक्षरित मांग की मूल प्रति प्राप्त होने पर ही अतिरिक्त अस्थायी शिक्षकों को नियोजित /उपलब्ध करवायेगा।
18. सफल निविदादाता को नियोजित अस्थायी शिक्षक का स्थानीय पुलिस सत्यापन अनिवार्यतः करवाने के लिए बाध्य होगा। बीमार कमजोर, असक्षम, व्यक्ति का नियोजन प्रतिबन्धित रहेगा। सत्यापन कराने उपरान्त ही अनुबन्ध किया जायेगा। तद्सम्बन्धी सूचना मुख्य कार्यालय को उपलब्ध करवायेगा।
19. सफल निविदादाता द्वारा नियोजित अस्थायी शिक्षकों के उक्त कृत्य से अदाता को होने वाले परिनिर्धारित नुकसान की वसूली देय भुगतान से की जायेगी। जिसके लिए सफल निविदादाता बाध्य होगा।
20. निविदादाता को उत्तराखण्ड सहित किसी भी प्रदेश के किसी भी संस्था/विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट न होने के सम्बन्ध में रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथ–पत्र ।
21. निविदादाता फर्मों, ठेकेदारों, संस्थाओं व उच्च शिक्षा विभाग के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम होगा।
22. अनुबन्ध की अवधि 11 माह के लिए, नियमित प्राध्यापक के स्थानान्तरण अथवा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए अनुबन्ध के आधार पर काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत आमंत्रित किया जायेगा।
23. कार्मिको द्वारा संबंधित महविद्यालय की सम्पत्ति को नुकसान एवं चोरी आदि होने की स्थिति में क्षति की प्रतिपूर्ति सफल निविदादाता के बिल से की जायेगी। इनवॉईस बिल जोकि निविदादाता के हस्ताक्षर से सत्यापित हो के साथ निरीक्षण कमेटी द्वारा सत्यापित मासिक उपस्थिति विवरण को अनिवार्यतः उपलब्ध करवाया जायेगा।
24. यह कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) में रजिस्टर्ड फर्मों को निविदा में निविदा शुल्क व धरोहर राशि में छूट प्रदान की जाएगी। पंजीकृत फर्म/निविदादाता को तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा।
25. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी, निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता द्वारा मोहर हस्ताक्षर अंकित किये जायेगें।

26. उत्तराखण्ड मे रजिस्टर्ड निविदादाता एजेन्सी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
27. चयनित निविदादाता एंजेन्सी को उत्तराखण्ड सरकार के रोजगार प्रयाग पोर्टल में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। अस्थायी शिक्षकों को राज्य के रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति किया जायेगा।
28. चयनित अस्थायी शिक्षकों द्वारा नियमित पदों के सापेक्ष विनियमित किये जाने का कोई भी दावा अस्वीकार्य होगा। उक्त दावा करने पर संविदा स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
29. निविदादाता द्वारा तकनीकि निविदा के साथ नवीनतम जी0एस0टी0, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 जमा चालान अपलोड करना अनिवार्य है तथा निविदादाता का जी0एस0टी0 स्टेटस एक्ट्रिव होना चाहिए।

सहायक निदेशक–सेवा, सहायक निदेशक–प्लान, उप निदेशक–सेवा,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड़,
हल्द्वानी (नैनीताल)

कार्यालय–उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)

(तकनीकी निविदा)

मानव श्रम आपूर्ति (राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत/रिक्त पदों के सापेक्ष नितान्त अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत अस्थाई शिक्षकों की तैनाती)

निविदा प्रपत्र जमा करने की प्रारम्भिक तिथि   निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि

वित्तीय वर्ष 2023–24 हेत बाहय स्त्रोत कार्मिकों की आपूर्ति

फर्म/कम्पनी का नाम

निविदादाता का नाम

निविदादाता का पता

दूरभाष/मोबाइल नम्बर

ई–मेल आई0डी0

1	सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध प्रपत्रों के पूर्ण होने पर रू0 10 प्रतिशत की प्रतिभूति निक्षेप–वाणिज्यिक बैको से निर्गत अदाता के नाम एकाउन्ट पे डिमान्ड ड्राफ्ट,सावधि जमा रसीद अनिवार्यताः उपलब्ध करानी होगी।	
2	निविदादाता/ऐजेंसी/फर्म/ठेकेदार को आयकर (PAN CARD)प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।	
3	फर्म का भारत के किसी भी राज्य GST विभाग में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन की सत्यापित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।	
4	फर्म का भारत के किसी भी राज्य में EPF विभाग में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन की सत्यापित अनिवार्य रूप से संलग्न करें।	
5	फर्म का भारत के किसी भी राज्य में ESIC विभाग में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन की सत्यापित अनिवार्य रूप से संलग्न करें।	
6	निविदादाता द्वारा प्रतिष्ठित 02 सरकारी संस्थाओं, कार्यालयों कम्पनियों/निगमों में विगत 01 वर्षो में 200 मानव आपूर्ति उपलब्ध कराये जाने का कार्यादेश की स्वप्रमाणित प्रतियाँ अनिवार्यतः उपलब्ध करवानी होंगी।	
7	निविदादाता फर्म को विगत 03 वर्ष मे 2.5 करोड का टर्न ओवर होने सम्बन्धित प्रमाण की सत्यापित छायाप्रति सलंग्न करनी अनिवार्य होगी।	
8	निविदादाता फर्म को विगत तीन वर्षों (वर्ष 2020–21,2021–22 एवं 2022–23) की आई0टी0आर0 सी0ए0 द्वारा प्रमाणित की सत्यापित प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।	

9	निविदादाता फर्म को रू0 100/– के स्टाम्प पर रसीद टिकट हस्ताक्षरयुक्त नौटरी से सत्यापित (शर्त संख्या 06 एवं निविदा की अन्य शर्तों के अनुसार) सहित देना अनिवार्य होगा।	
10	निविदादाता फर्म द्वारा तकनीकी निविदा के साथ विगत तीन वर्षों की CA द्वारा प्रदत्त बैलेन्सषीट या CA द्वारा प्रदत्त टर्न ओवर सर्टिफिकेट की सत्यापित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।	
11	निविदादाता फर्म का भारत के किसी राज्य में श्रम विभाग के Act,1970 Labour License के अर्न्तगत निविदा तिथि से एक माह पूर्व का पंजीकरण जो वर्तमान में भी प्रभावी हो, की सत्यापित संलग्न करना अनिवार्य होगा।	

मेरे द्वारा निविदा के सभी नियमों एवं शर्तों का पूर्णतः अध्ययन करने के उपरान्त तकनीकी व वित्तीय निविदा दी गयी है और मुझे सभी नियम एवं शर्ते स्वीकार है। जिसका पालन करने के लिये बाध्य रहूँगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

निविदादाता का वर्तमान/स्थायी पता

निविदादाता का मोबाइल नम्बर

उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त 15 पदों पर अस्थायी शिक्षकों के चयन हेतु आरक्षण की स्थिति				
क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	रिक्त विषय	कुल स्वीकृत पद	आरक्षण की स्थिति
1	डोईवाला	चित्रकला	1	अनारक्षित–01
2	भूपतवाला	चित्रकला	1	अनारक्षित–01
3	नई टिहरी	सांख्यिकी	1	अनारक्षित–01
4	रूद्रपुर	सांख्यिकी	1	अनारक्षित–01
5	विधि गोपेश्वर	विधि	1	अनारक्षित–01
6	रायपुर	बी0एस0सी0 गृह विज्ञान	3	अनु0जाति–01, अनारक्षित–02
7	नरेन्द्रनगर	बी0एस0सी0 गृह विज्ञान	1	अनारक्षित–01
8	देहरादून शहर	कम्प्यूटर विज्ञान	1	अनारक्षित–01
9	भूपतवाला	कम्प्यूटर विज्ञान	1	अनारक्षित–01
10	हल्द्वानी शहर	कम्प्यूटर विज्ञान	1	अनारक्षित–01
11	कोटाबाग	कृषि	1	अनारक्षित–01
12	अगस्त्यमुनी	बेसिक साइंस	1	अनारक्षित–01
13	पैठाणी	बी.एस.सी. अक्षय ऊर्जा	1	अनारक्षित–01
कुल योग			15	

Bid Number/बोली क्रमांक (बिड संख्या): GEM/2024/B/4784740
Dated/दिनांक : 15-03-2024

Bid Document/ बिड दस्तावेज़

Bid Details/बिड विवरण	
Bid End Date/Time/बिड बंद होने की तारीख/समय	25-03-2024 14:00:00
Bid Opening Date/Time/बिड खुलने की तारीख/समय	25-03-2024 14:30:00
Bid Offer Validity (From End Date)/बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)	90 (Days)
Ministry/State Name/मंत्रालय/राज्य का नाम	Uttarakhand
Department Name/विभाग का नाम	Higher Education Department Uttarakhand
Organisation Name/संगठन का नाम	Directorate Of Higher Education
Office Name/कार्यालय का नाम	Golapaar Haldwani
Item Category/मद केटेगरी	Manpower Outsourcing Services - Fixed Remuneration - Temporary Teacher; Temporary Teacher; PHD or NET or USET
Contract Period/अनुबंध अवधि	11 Month(s) 5 Day(s)
Minimum Average Annual Turnover of the bidder (For 3 Years)/बिडर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (3 वर्षों का)	200 Lakh (s)
MSE Exemption for Years Of Experience/अनुभव के वर्षों से एमएसई छूट/	Yes
Startup Exemption for Years Of Experience/अनुभव के वर्षों से स्टार्टअप छूट/	Yes
Document required from seller/विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़	Experience Criteria,Bidder Turnover,Certificate (Requested in ATC),Additional Doc 1 (Requested in ATC),Additional Doc 2 (Requested in ATC),Additional Doc 3 (Requested in ATC),Additional Doc 4 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Bid to RA enabled/बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया	No
Type of Bid/बिड का प्रकार	Two Packet Bid
Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation/तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय	2 Days

Bid Details/बिड विवरण	
Estimated Bid Value/अनुमानित बिड मूल्य	5775000
Evaluation Method/मूल्यांकन पद्धति	Total value wise evaluation

EMD Detail/ईएमडी विवरण

Required/आवश्यकता	No

ePBG Detail/ईपीबीजी विवरण

Advisory Bank/एडवाइजरी बैंक	IDBI Bank
ePBG Percentage(%)/ईपीबीजी प्रतिशत (%)	0.01
Duration of ePBG required (Months)/ईपीबीजी की अपेक्षित अवधि (महीने).	13

(a). EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable./ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए।

Beneficiary/लाभार्थी :
Director
Golapaar Haldwani, Higher Education Department Uttarakhand, Directorate of Higher Education,
(Director Higher Education)

Splitting/विभाजन

Bid splitting not applied/बोली विभाजन लागू नहीं किया गया.

MII Compliance/एमआईआई अनुपालन

MII Compliance/एमआईआई अनुपालन	Yes

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता	Yes

1. If the bidder is a Micro or Small Enterprise as per latest definitions under MSME rules, the bidder shall be exempted from the requirement of "Bidder Turnover" criteria and "Experience Criteria" subject to meeting of quality and technical specifications. If the bidder is OEM of the offered products, it would be exempted from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. In case any bidder is seeking exemption from Turnover / Experience Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer.
2. If the bidder is a Startup, the bidder shall be exempted from the requirement of "Bidder Turnover" criteria and

"Experience Criteria" subject to their meeting of quality and technical specifications. If the bidder is OEM of the offered products, it would be exempted from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. In case any bidder is seeking exemption from Turnover / Experience Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer.
3. The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated above in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3-year-old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.
4. Purchase preference to Micro and Small Enterprises (MSEs) from the State of Bid Inviting Authority: Purchase preference will be given to MSEs as Micro and Small Enterprises from the State of Bid Inviting Authority. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered service. If L-1 is not an MSE and MSE Service Provider (s) has/have quoted price within L-1+15% of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, then 100% order quantity will be awarded to such MSE bidder subject to acceptance of L1 bid price.
5. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

Additional Qualification/Data Required/अतिरिक्त योग्यता /आवश्यक डेटा

Geographic Presence: Office registration certificate: Preference should be given to the services provider registered in Uttarakhand

Scope of work & Job Description:1710487433.pdf

In case, the buyer wants to retain some of the existing resources then buyer is needed to upload the list of resources along with the quantity of each type or resource to be continued by the successful bidder/service provider under the new contract as per the T&C of new contract concluded on the basis of this bid along with approval of Competent Authority.:1710487463.pdf

Manpower Outsourcing Services - Fixed Remuneration - Temporary Teacher; Temporary Teacher; PHD Or NET Or USET (15)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification	Values
Core	
Type of Function	Temporary Teacher
List of Profiles	Temporary Teacher
Educational Qualification	PHD or NET or USET
Specialization	Arts , Science , Law , Statistics Agriculture BSc home Science Energy
Post Graduation	Required
Specialization for PG	Arts , Science , Law , Statistics Agriculture BSc home Science Energy
Experience	0 to 3 Years
State	NA
District	NA
Zipcode	NA

Specification	Values
Addon(s)/एडऑन	
Additional Details/अतिरिक्त विवरण	
Title for Optional Allowance 1	
Designation	Temporary Teacher

Additional Specification Documents/अतिरिक्त विशिष्टि दस्तावेज़

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Number of Resources to be hired	Additional Requirement/अतिरिक्त आवश्यकता

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Number of Resources to be hired	Additional Requirement/अतिरिक्त आवश्यकता
1	Himanshu Kumar	263139,Directorate of Higher Education Golapaar, Haldwani	15	• Basic monthly pay (INR) exclusive of GST : 35000 • Bonus (INR Monthly) : 0 • EDLI (INR Monthly) : 0 • EPF Admin Charges (INR Monthly) : 0 • Estimated Number of Overtime Hours per Resource per Month : 0 • Remuneration per resource per hour for Overtime Hours (Including all applicable allowance etc & excluding GST) : 0 • Optional Allowances 1 (INR Monthly) : 0 • Optional Allowances 2 (INR Monthly) : 0 • Optional Allowances 3 (INR Monthly) : 0 • Provident Fund (INR Monthly) : 0 • ESI (INR Monthly) : 0 • Tenure/ Duration of Employment (In Months) : 11

Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions/क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें

1. **Generic**

   OPTION CLAUSE: The buyer can increase or decrease the contract quantity or contract duration up to 25 percent at the time of issue of the contract. However, once the contract is issued, contract quantity or contract duration can only be increased up to 25 percent. Bidders are bound to accept the revised quantity or duration

2. **Buyer Added Bid Specific ATC**

   Buyer uploaded ATC document Click here to view the file.

Disclaimer/अस्वीकरण

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. Any clause(s) incorporated by the Buyer regarding following shall be treated as null and void and would not be considered as part of bid:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process.
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

This Bid is governed by the General Terms and Conditions/सामान्य नियम और शर्तें, conditons stipulated in Bid and Service Level Agreement specific to this Service as provided in the Marketplace. However in case if any condition specified in General Terms and Conditions/सामान्य नियम और शर्तें is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement, then it will over ride the conditions in the General Terms and Conditions.

In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws./जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो।बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।

---Thank You/धन्यवाद---